

7-5-18

पञ्जाबली पेशा इन्ही। बार-बार साबाज  
दिलवाइ बाई परबसु बादी की तरफ से  
कोई उपासना नहीं है। न्यायालय द्वारा  
दि. 7-11-17 को नोटिस जारी किसे गैर, फिर

दिनांक आज्ञा या  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

लोक अदालत के नौरेत अधिकारी क्रिये  
लोक अदालत में जारी सचिव उपासीत  
इसे उसके पदनाम आज कोई उपासीत  
नहीं है। अदालत का समय हमारे हीरे को  
अलवादी की अदम्य दायरी एवं अदम्य पैरवी में  
रखावेन किया गया। फटाकली कुंसल शुभ  
होकर इसे लम्बर से कम हो। अदम्य एवं  
न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी.  
सौमर लेक